

12.01.2026

वकील शर्मा उपस्थित। विधानी वाक्यूट  
 तालीमी के उपस्थित नहीं होने के कारण  
 एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तबबारा  
 वकील शर्मा की वकालत करने वाले डोमों  
 वदरत निर्वेदन क्रिमा की विवादिन शूनि  
 खलम नखर 52, 53, 55 व 37 में शर्मा  
 का अखुद नाम अखंत (नेह पुष बाद सिंह  
 है। वदरत शर्मा का वात्तकि  
 नाम अखति पुष बाद सिंह है, अखति विवादि  
 शूनि में अखुद नाम होने के कारण शर्मा  
 को शक्ति हो रही है। विधानी तदरीफर  
 मलपतापुर ने भी अपने अवाब में -  
 रबीनाद क्रिमा कि शर्मा का वात्तकि  
 नाम अखति शर्मा है, अखति विवादि  
 शूनि में अखुद नाम अखंत (नेह पुष बाद  
 वदरत है। शर्मा का अखुद रबीनाद  
 क्रिमा आते।

उप.  
(S.D)

इसमें वकील शर्मा की वकालत  
 करने और वकालत पर मतद क्रिमा तथा  
 पत्रावली पर उपपल्लव राखल वेकडे, वदरत  
 का गतमीता - पूर्वत अखलोकन क्रिमा गया।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

268/2025

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

पिछले पादा कि विवाहित श्री गाम - बालासा  
 तहसील कालपाणपुर की रेत खजटा नगर  
 52, 53, 55 व 57 में धानी का नाम जलवंत सिंह  
 पुत्र राम सिंह दत्त है जो कि धानी कसुह  
 पत्नी इत जलवंत श्री पुत्र राम सिंह शुह  
 पत्नी का हाइलेव पादा गण है अर्थात् इती  
 गाम की रेत खजटा नगर 54, 58 व 59  
 कुल क्षेत्रफल 0.3804 हेक्टर श्री में धानी  
 का नाम जलवंत पुत्र राम सिंह दत्त है इसके  
 अलावा धानी के आधार कार्ड, एक 3029  
 धारी व उन आधार कार्ड धारी, वोट कार्ड  
 धारी, आमकर विभाग द्वारा जारी वोट कार्ड  
 धारी, में धानी का नाम जलवंत श्री दत्त  
 है इसके अतिरिक्त होता है, कि धानी का  
 वरत्तक नाम जलवंत श्री है, लेकिन  
 विवाहित श्री में कसुह दत्त हो रहा है  
 जो की धानी दुकली कहने का लडा  
 है। पिछली गार्ड विधायी तहसीलदार  
 कालपाणपुर ने अपने अवका में रवीन्द्र किशो  
 है, कि जलवंत श्री व जलवंत सिंह एक  
 ही व्यक्ति है जोतगी नामाकरण के दोनो  
 धानी का कसुह नाम जलवंत सिंह दत्त किशो  
 धानी का धानी का नाम जलवंत श्री  
 दुकली करने की आशयता की गई है  
 उपरोक्त विवेचन के अन्तर्गत धानी का नाम  
 रवीन्द्र प्रोग है रजिस्ट्रार धानी का



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोत्तरा

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

नम्बर  
अहकाम  
की तारीख

आवेदन स्वीकार किया जाकर गांव बखालना  
तहसील बखालपुर की खेत खालना खालना  
52, 53, 55 व 37 के राज्यल रिपोर्ट  
(बखालना) में गाँव का समूह गांव बखालना  
पुर गाँव के खालना व बखालना गाँव पुर  
बखालना खालना के खालना के खालना के  
आते हैं शेष खालना रहेगा। तहसील  
बखालपुर को खालना खालना जाता है,  
कि राज्यल रिपोर्ट में खालना खालना  
बखालना खालना खालना।

बखालना खालना खालना -  
बखालना खालना खालना।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बखालना

